बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0स0 :–2/अ0प्र0–1–216/2017 867 /पटना, दिनांक :– 24.4.2020

श्री विजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 के द्वारा वर्ष 2017 में बाढ़ आपदा के समय कर्त्तव्यहीनता एवं शिथिलता बरते जाने के कारण अधिसूचना संख्या–9835–सह–पठित ज्ञापांक 9836 दिनांक 20.08.2017 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया।

2. उक्त आरोपों पर श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 3660 अनु0 दिनांक 21.12.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 26.12.2017 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं प्रश्नगत मामले में अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, किशनगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत अधिसूचना संख्या–275–सह–पठित ज्ञापांक 276 दिनांक 06.02.2018 द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

3. श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर संकल्प ज्ञापांक 277 दिनांक 06.02.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्री रत्नेश सिंह, सहायक अभियंता को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 381 दिनांक 22.02.2018 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र से संबंधित साक्ष्य एवं अन्य कागजात उपलब्ध कराया गया, जिसे विभागीय कार्यवाही के निमित संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपित पदाधिकारी को भेजा गया।

5. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 23 अनु0 दिनांक 31.01.2019 से विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप अप्रमाणित होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा सभी आरोपों को ठोस साक्ष्य नहीं रहने के कारण अप्रमाणित पाया गया है। मामले से संबंधित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि जिला आपदा प्रबंधन की बैठकों में दिये गये निर्देशों का पालन आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। बाढ़ आपदा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही एवं आदेश की अवहेलना के आरोप पर श्री कुमार से जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा स्पष्टीकरण भी पूछा गया। साथ ही विभागीय सचिव द्वारा दिनांक 19.08.2017 को राज्य स्तरीय दल के साथ जिला किशनगंज का भ्रमण के दौरान बाढ़ साहाय्य कार्य हेतु पथों की आपातकालीन मरम्मत की समीक्षा में श्री कुमार को दायित्वहीन पाया गया।

7. उक्त आलोक में समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 1099 अनु0 दिनांक 16.04.2019 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic

8. श्री कुमार के पत्रांक कैम्प (पटना) दिनांक 28.08.2019 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा पूर्व प्रतिवेदित तथ्यों को ही पुनः दोहराया गया है एवं यह कहा गया है कि उनके क्षेत्राधीन 147 पथ क्षतिग्रस्त थे, सीमित संसाधन के फलस्वरूप कार्य संपन्न कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, परन्तु इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है। यह भी पाया गया कि जिलाधिकारी, किशनगंज द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन किये जाने का श्री कुमार द्वारा कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया।

9. श्री कुमार के दिनांक 30.11.2019 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश ज्ञापांक 3613 दिनांक 12.12.2019 द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया है।

10. उक्त आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से पाँच वर्षों तक 05 प्रतिशत की कटौती करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

11. श्री कुमार के विरूद्ध उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 3626 अनु0 दिनांक 16.12.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 3386 दिनांक 17.03.2020 द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।

12. अतः उक्त के आलोक में श्री विजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रश्नगत् मामले में **प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत** निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) पेंशन से 05 (पाँच) वर्षों तक 05 (पाँच) प्रतिशत की कटौती।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/4/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–216/2017 868 /पटना, दिनांक :– 24.4.2020

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) हेतु प्रेषित।

24/4/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–216/2017 868 /पटना, दिनांक :– 24.4.2020

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–216/2017 868 /पटना, दिनांक :– 24.4.2020

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/गया/प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा), ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री विजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :– एम0–16, सेक्टर–1, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बरारी, भागलपुर, पिनकोड–812003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–216/2017 868 /पटना, दिनांक :– 24.4.2020

प्रतिलिपि:– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3386 दिनांक 17.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

24/4/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–216/2017 868 /पटना, दिनांक :– 24.4.2020

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/4/2020.

अपर सचिव